दिनांक 14 जुलाई, 2023 को अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ दिनांक 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री प्रताप सिंह शाह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री बी.एस. रावत, अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
4. श्री मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन/प्रशासन, इण्डियन नेशनल कांग्रेस
5. श्री पुनीत मित्तल, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
6. श्री अनन्त आकाश, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पॉटी ऑफ इण्डिया (मार्कसिस्ट)
7. श्री जोत सिंह बिष्ट, प्रदेश संयोजक, आम आदमी पार्टी।
8. श्री स्पर्श प्रालियान, प्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी।
9. श्री प्रमोद कुमार, प्रतिनिधि,बहुजन समाज पार्टी

सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–23/2023-ERS (Vol.III) दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम से निम्नानुसार विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया :–

S.No.	Activity	Period
	Pre-revision Activities	
1.	Training of EROs/AEROs/BLOs etc on all laws and guidelines related to ER, including training on the latest IT applications and systems	From 01-06-2023 (Thursday) to 20-07-2023 (Thursday)
2.	(i) House to House verification by BLOs	**21-07-2023 (Friday) to 21-08-2023 (Monday)**
	(ii) Rationalization/Re-arrangements of Polling Stations. (iii) Removal of discrepancies in Electoral Roll/EPICs. (iv) Improvement of image quality ensuring good quality photographs, by replacing blurred, poor quality and not to specification and non-human images in electoral roll, wherever necessary. (v) Recasting of Section/Parts and Finalization of proposed restructuring of section/part boundaries location of polling stations and getting approval of list of polling stations. (vi) Identification of the Gaps and Finalizing the strategy and timeline to bridge such gaps. (vii) Updation of Control table	22-08-2023 (Tuesday) to 29-09-2023 (Friday)
3.	(i) Preparation of Format 1 to 8 (ii) Preparation of Supplements and integrated draft roll with reference to 01.01.2024 as the qualifying date	30-09-2023 (Saturday) to 16-10-2023 (Monday)
	Revision Activities	
4.	Publication of Integrated draft electoral roll	**17-10-2023 (Tuesday)**

.....2

5.	Period for filing claims and objections	17-10-2023 (Tuesday) to 30-11-2023 (Thursday)
6.	Special Campaign dates	04-11-2023 (Saturday) 05-11-2023 (Sunday) & 25-11-2023 (Saturday) 26-11-2023 (Sunday)
7.	Disposal of claims and objections	By 26-12-2023 (Tuesday)
8.	(i) Checking of health parameters and obtaining Commission's permission for final publication (ii) Updating database and printing of supplements	By 01-01-2024 (Monday)
9.	Final publication of electoral roll	05-01-2024 (Friday)

2) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारियो को विशेष पुनरीक्षण से सम्बन्धित एजेण्डा एवं विभिन्न सांख्यकीय सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि, पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सभी अधिकरियों/कार्मिकों यथा – ACLMTs, EROs, AEROs, Tahsildars, Kanungons/ Data Entry Operators, BLO Supervisors and BLOs को नये प्रारूपों के आधार पर आवेदन प्राप्त करने हेतु Mobile App सहित latest IT processes and systems का दिनांक 01 जून, 2023 से 20 जुलाई, 2023 के मध्य समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य स्तर से दिनांक 26 से 28 जून, 2023 व 13 जुलाई, 2023 को राज्य के सभी EROs & AEROs को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

3) उपस्थित पदाधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसारण में निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित ढंग से शुद्ध एवं अद्यावधिक बनाए रखने/ Electoral Roll Purification के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/मतदेय स्थलवार ASD List (Asbsentee, Shifted and Dead) अर्थात अनुपस्थित, स्थानान्तरित एवं मृत निर्वाचकों की विधिवत सूची तैयार किये जाने का कार्य वर्तमान में गतिमान है, जिसके भौतिक सत्यापन का कार्य BLOs के द्वारा House to house Field verification के समय किया गया है।

4) आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 21 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 अगस्त, 2023 तक BLOs के द्वारा House to house Field verification किया जाना है, जिस हेतु BLOs को प्री–फिल्ड बी.एल.ओ. रजिस्टर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें मतदेय स्थल के मौजूदा मतदाताओं का विवरण सत्यापन हेतु उपलब्ध रहेगा। उक्त सत्यापन के दौरान BLOs निम्न सूचनाएं एकत्र करेगें :–

a) Un-enrolled eligible citizens (eligible on 01-10-2023)
b) Prospective electors (eligible on 01-01-2024)
c) Prospective electors (eligible on three subsequent qualifying dates i.e 01st April, 01st July and 01st October, 2024)
d) Multiple entries/dead electors/Permanently Shifted Electors
e) Correction in the ER entries

5) वर्तमान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–14 में संशोधन और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में संशोधन/परिर्वतनों के फलस्वरूप चार अर्हता तिथियां अर्थात 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर नियत है।

6) उक्तानुसार अलग–अलग अर्हता तिथियों के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित विधान सभा निर्वाचक नामावली निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर मूल निर्वाचक नामावली, परिवर्धन, विलोपन तथा संशोधनों का पूर्ण विवरण (01 जुलाई, 2023 तक) वेबसाईट में उपलब्ध है। दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित

.....3

निर्वाचक नामावली की प्रति क्षेत्रीय बीएलओ के पास भी उपलब्ध है।

7) उक्तानुसार दिनांक 01 जुलाई, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के अनुसार राज्य में निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है:–

सामान्य मतदाता				सर्विस मतदाता			प्रवासी भारतीय		
पुरूष	महिला	तृ0 लिंग	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
42,52,118	39,47,480	283	81,99,881	91,107	2592	93,699	28	11	39

Gender Wise Voters Revision 1 (01-11-2022 to 27-01-2023) w.r.t. 01-01-2023 as the qualifying date											
Addition				Deletion				Modification			
Male	Female	TG	Total	Male	Female	TG	Total	Male	Female	TG	Total
62652	71818	7	134477	25189	27226	3	52418	13783	9246	2	23031

Gender Wise Voters Revision 2 (28-01-2023 to 31-03-2023) w.r.t. 01-04-2023 as the qualifying date											
Addition				Deletion				Modification			
Male	Female	TG	Total	Male	Female	TG	Total	Male	Female	TG	Total
6404	6663	6	13073	572	698	1	1271	1786	1065	1	2852

Gender Wise Voters Revision 3 (01-04-2023 to 30-06-2023) w.r.t. 01-07-2023 as the qualifying date											
Addition				Deletion				Modification			
Male	Female	TG	Total	Male	Female	TG	Total	Male	Female	TG	Total
17443	18427	1	35871	6583	7427	2	14012	6576	4547	1	11124

8) ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल अथवा 01 जुलाई, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं करवाया है तो वह **फार्म–6** में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अर्ह नागरिक दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, तो ऐसे नागरिक भी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए **फार्म–6** पर नियमानुसार अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं।

9) वर्तमान विधान सभा निर्वाचक नामावली को किसी नाम को हटाए जाने के लिए **फार्म–7** पर तथा वर्तमान नामावली में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को सही कराने, एक ही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पता बदलने, या भारत वर्ष के अन्तर्गत किसी भी विधान सभा से किसी दूसरी विधान सभा के अन्तर्गत स्थानान्तरण के लिए, या मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने के लिए अथवा निर्वाचक नामावली में दिव्यांगता श्रेणी फ्लैग करने के लिए **फार्म–8** पर आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक **फार्म–6क** पर आवेदन प्रस्तुत कर, पासपोर्ट में अपने पते के आधार पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवा सकते हैं। कोई भी नागरिक विधान सभा निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए **फार्म–6ख** में स्वेच्छा के आधार पर अपना आधार आदि विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

10) उक्तानुसार फार्म–6, 6क, 6ख, 7, एवं 8 (जो भी लागू हो) पर वेबसाईट www.voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं कोई भी नागरिक गूगल प्लेस्टोर से अपने स्मार्ट एण्ड्रवॉइड/आईओएस मोबाइल फोन पर Voter Helpline App (VHA) डाउनलोड कर ऑनलाईन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

11) उपस्थित पदाधिकारियों की पृच्छा के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा

.....4

पुनः स्पष्ट किया गया कि अब फार्म—6 में केवल नया नाम दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन किया जायेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित/शिफ्ट इत्यादि होने पर फार्म—8 पर नियमानुसार आवेदन किया जायेगा।

12) आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री जोत सिंह बिष्ट जी द्वारा निर्वाचन के दौरान कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट जाने की शिकायतों का समाधान करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से बिना किसी कारण एवं विहित प्रक्रिया के अपमार्जित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक पुनरीक्षण के दौरान आलेख्य निर्वाचक नामावली जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य भी यही है कि मतदाता निर्वाचक नामावली में अपने नाम की जांच कर लें तथा आगामी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

13) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र 23/2023-ERS (Vol.III) दिनांक 29 मई, 2023 में जारी दिशा—निर्देशों तथा मतदेय स्थलों के लिए मैनुअल—2020 (Manual on Polling Stations-2020) के अध्याय—2, 3 एवं 4 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों (निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन से पूर्व) के अन्तर्गत सर्व प्रथम वर्तमान मतदेय स्थलों के युक्तिकरण/पुनर्निधारण— पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत वर्तमान मतदेय स्थलों का शत—प्रतिशत भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सुनिश्चित की जाएगी तथा भौतिक सत्यापन के उपरान्त मतदेय स्थलों के संशोधन, पुनर्निधारण एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के समय आयोग के मानदंडो (विस्तृत विवरण एजेण्डा में उल्लिखित) को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।

मतदेय स्थलों के संशोधन, पुनर्निधारण एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि मतदेय स्थलों के संबंध में अपने—अपने सुझाव/आपत्ति/प्रस्ताव (यदि कोई हों) दिनांक 31 अगस्त, 2023 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14) श्री जोत सिंह बिष्ट द्वारा सभी मतदेय स्थलों तथा सर्विस मतदाताओं की सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित होने के फलस्वरूप निःशुल्क मतदेय स्थलों की सूची व 27 जनवरी, 2023 को प्रकाशित सर्विस मतदाताओं की सूची की सॉफ्ट कॉपी तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया कि निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के समय सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों को नियमानुसार निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट व हॉर्ड कापी भी नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

15) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली में परिलक्षित DSEs, PSEs & EPICs आदि की विसंगतियों को निरन्तर हटाने की कार्यवाही की जा रही है। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध DSEs, PSEs & EPICs आदि की विसंगतियों को हटाये जाने की कार्यवाही जारी रहेगी।

16) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि, विद्यमान निर्वाचक नामावली (अर्थात वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रचलित) में Elector Population Ratio] Gender GAP (Census Gender Ratio-Elector Gender Ratio) व मतदेय स्थलों का विवरण जहाँ पर महिला निर्वाचकों का लिंगानुपात संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के औसत महिला निर्वाचक लिंगानुपात से कम है, से सम्बन्धित अंतराल (Gaps) परिलक्षित हुए हैं, जिनका विस्तृत विवरण एजेण्डा में उल्लिखित है। उक्त अन्तरालों की पूर्ति एक अभियान के रूप में पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों में निराकरण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। जिसके अन्तर्गत

.....5

सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है।

17) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए अपने—अपने राजनैतिक दल का बीएलए नियुक्त करने का कष्ट करें और मतदेय स्थलवार नियुक्त बीएलए की सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री जोत सिंह जी द्वारा अनुरोध किया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग को प्रत्येक दल के लिए बीएलए को नियुक्त किया जाना अनिवार्य किया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में उस दल के पोलिंग एजेण्ट को मतदान के दिवस को मतदेय स्थल में प्रवेश न दिया जाय। उनकी इस बात का इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री मथुरा दत्त जोशी जी द्वारा भी समर्थन किया गया। किन्तु माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्कससिस्ट) के प्रतिनिधि श्री अनन्त आकाश जी द्वारा अनुरोध किया गया कि छोटे दलों को बी.एल.ए. नियुक्त करने में छूट दी जानी आवश्यक है।

18) मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित ढंग से शुद्ध एवं अद्यावधिक बनाए रखने/ Electoral Roll Purification के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक दल द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदेय स्थल हेतु बीएलए नियुक्त करना आवश्यक है, नियुक्त बी.एल.ए. निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अध्यावधिक तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित बी.एल.ओ. को सहयोग कर सकें। इस पुनरीक्षण में निर्वाचक नामावली को शत्प्रतिशत त्रुटिरहित, शुद्ध एवं अध्यावधिक बनाये जाने हेतु सभी राजनैतिक दलों से सभी मतदेय स्थल पर बी.एल.ए. नियुक्त करते हुए सूची सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को BLA की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

19) उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हिकरण एवं सर्विस मतदाताओं के सत्यापन का कार्य भी वर्तमान में बी.एल.ओ. द्वारा घर—घर जाकर किये जा रहे सत्यापन के समय किया जाना उचित होगा तथा निर्वाचक नामावली में शत्प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं के नाम सम्मलित होने के साथ—साथ सर्विस मतदाता सूची में शुद्ध एवं अध्यावधिक हो सकें। इस संबंध में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समाज कल्याण विभाग के पेंशनरों की सूची के आधार पर द्विव्यांग मतदाताओं के चिन्हिकरण का कार्य पृथक से गतिमान है तथा दिनांक 21 जुलाई, 2023 से प्रारम्भ हो रहे घर—घर सत्यापन कार्य के दौरान भी द्विव्यांग मतदाताओं एवं सर्विस मतदाताओं के सत्यापन का कार्य भी करवाये जाने हेतु सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा।

20) राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कई मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान—पत्रों का वितरण समय पर न होने के संबंध में अवगत कराया गया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा मानकों से साथ तैयार किये जा रहे नवीन मतदाता फोटो पहचान पत्रों के मुद्रण एवं तकनीकी जांच के उपरान्त स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक विभाग द्वारा वितरित किये जा रहे है। वितरण में आ रही कठिनाईयों के संबंध में डाक विभाग के साथ समन्वय बैठक की गयी है। डाक विभाग द्वारा भविष्य में मतदाताओं को नियत समय पर ईपिक वितरण सुनिश्चित कराया जाने का आश्वासन दिया गया है।

21) उक्त के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी दलों के प्रतिनिधियों

.....6

को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम व वीवीपैट के जनपदों में स्थित वेयरहाउसों का प्रत्येक माह में बिना वेयर हाउस खोले तथा प्रत्येक त्रैमास में वेयर हाउस खोल कर सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया एवं किसी कारण से वेयर हाउस खोलने की स्थिति में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों से वेयर हाउस के खोले जाने अथवा निरीक्षण के समय जनपदस्तरीय पदाधिकारियों को उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

22) राजनैतिक दलों से यह भी अनुरोध किया गया कि, राज्य के शत–प्रतिशत अर्ह नागरिकों के नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने, तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने हेतु अपने बी.एल.ए. के माध्यम से बूथ/ब्लॉक/मण्डल/तहसील/जनपद स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से अवगत कराते हुए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या : 1103 / XXV-16/2023
देहरादून, दिनांक : 18 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि :
1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड़, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 के अन्तर्गत Pre-revision Activities की समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित किये जाने के संबंध में दिनांक 14 जुलाई, 2023 को अपरान्ह 03:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	हस्ताक्षर
1	जोत सिंह बिष्ट	आम आदमी पार्टी	7454836666	bishtjs54@gmail.com	[signature]
2	[illegible]	CPI(M)	9410365899		[signature]
3	Puneet Mittal	BJP	9897025550		[signature]
4	मथुरा दत्त जोशी	Cong	9412965208		[signature]
5	R.S. Kaplav	BJP	9837007094		[signature]
6	Sparsh Brodiyon	BSP	9837459042		[signature]
7	Pramod Kr	BSP	9837972620		[signature]
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					